

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय.

45

क्रमांक /एफ 16/08/34-2/04
प्रति,

रायपुर, दिनांक /8/2008

मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
बिलासपुर परिक्षेत्र, बिलासपुर।

विषय:

संदर्भ:-

- शासन से अनावश्यक पत्राचार न करने बाबत।
1. आपका पृष्ठांकित पत्र क्र. 2540, /दि.19.6.08 2565, 2566, 2568, 2567, 2569, 2570, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2596, 2597, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603 /दि.20.6.08 2747, 2748, /दि.3.7.08, 2843, 2847, /14.7.08
 2. शासन का पृष्ठांकित पत्र क्रमांक 1582 /दिनांक 16.6.2008

-00-

कृपया शासन के पृष्ठांकित पत्र दिनांक 16.6.08 का अवलोकन करे, जिसमें शासन से अनावश्यक पत्राचार न किये जाने के निर्देश दिये गये थे। शासन के निर्देशों का पालन न करते हुए पुनः विभिन्न पत्रों की प्रतियां शासन को भेजी गई है। कृपया स्पष्ट करें कि शासन को उपरोक्त पत्र किस उद्देश्य से पृष्ठांकित किये गये हैं। भविष्य में शासन को जो भी पत्र पृष्ठांकित किये जावें, उसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि शासन से आप क्या चाहते हैं। भविष्य के लिए आपके अधिनस्थ मैदानी कार्यालयों को भी आवश्यक निर्देश जारी करें कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय शासन को पृष्ठांकित किये जावे, जिसकी सूचना शासन को देना आवश्यक हो अथवा शासन से कोई निर्देश मार्गदर्शन अपेक्षित हो,

त.प.प.
12/12
6/18
डी.प.प.

विशेष सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन


लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

रायपुर, दिनांक 4/8/2008

पृ० क्रमांक 1920 /एफ 10-1/08/34-2/01

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मैदानी कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी करे।
 2. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर परिक्षेत्र रायपुर।
 3. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल, दुर्ग / रायपुर / बिलासपुर / जगदलपुर एवं अंबिकापुर।
- भविष्य में जो भी पत्र शासन को पृष्ठांकित किये जावे, उनमें प्रयोजन का स्पष्ट उल्लेख अंकित किया जावे।



विशेष सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग